एनएमडीसी स्टीललिमिटेड NMDC STEEL LIMITED
पंजीकृतकार्यालयः द्वारा एनएमडीसीआयरन एण्ड स्टीलप्लांट, पोस्टः नगरनार
Regd. Office: C/o, NMDC Iron & Steel Plant, Post: Nagarnar.
जिलाः बस्तर, पिनः 494001,छत्तीसगढDist:Bastar, PIN: 494001, Chhattisgarh.
नैगमपहचान संख्या,Corporate identity Number: U27310CT2015GOI001618

Ok

एनएसएल/पर्या./वनमण्डलाधिकारी/आईटीआई पॉलीटेक्नीक/2024/688 दिनांक 16/11/2024

प्रति,
वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर,
जगदलपुर छत्तीसगढ

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose conservation act, 1980 proposed for construction of ITI Polytechnic and other associated infra-structure in Village – Chokawada, Tehshil – Jagdalpur, District – Bastar, area 9.80 ha.-regarding, पंजीयन कमांक - FP/CG/Others/28963/2017.

संदर्भ :– 1. वनमण्डलाधिरी, वनमण्डलाधिकारी बस्तर जगदलपुर का पत्र कमांक 1 क.त.अ./ 3487 जगदलपुर, दिनांक 28.10.2024
2. पर्यावरण स्वीकृति F.NO.J – 1101/681/2008 – IA II (I) date 15/09/2009.

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में हमारे द्वारा प्रेषित पत्र कमांक NMDC/NSL/TQM/Forest/ITI Poly/2024/434 दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से आपके कार्यालय को पूर्व ही सूचित किया जा चुका है कि आई.टी.आई. पॉलिटेक्नीक एवं सम्बधित आधार भूत–संरचनाओं का निर्माण एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) गतिविधि नहीं है। यह एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा एनएमडीसी के इस्पात संयंत्र के लिये पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रकिया के दौरान दिया गया आश्वासन है जिसके तहत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधार भूत–संरचनाओं के निर्माण हेतु चयनित क्षेत्र परियोजना प्रभावित गाँवों के निवासियों के लिए सुविधा जनक है। आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक बनाने का उददेश्य स्थानीय आदिवासी छात्रों को एन.एम.डी.सी. इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा और कौशल में निपुण करना है तथा जिसका उल्लेख पर्यावरणीय स्वीकृति की निम्न कंडिका में अनुबद्व है :

<u>कंडिका कमांक (XIX):</u> "27 फरवरी, 2009 को आयोजित जन सुनवाई/ जन परामर्श बैठक के दौरान जनता से की गई सभी प्रतिबद्वताओं का संतोषप्रद ढंग से कियान्वयन किया जाएगा"।

संदर्भित उक्त कंडिका में निहित प्रतिबद्वताओं (जिसमें आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक एवं आधार–भूत संरचनाओं का निर्माण करना आदि भी सम्मिलित है) की जानकारी पर्यावरण स्वीकृति की प्रति एवं जन परामर्श/सुनवाई का कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर इस पत्र के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न दस्तावेजों को अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करने कर कष्ट करें।

सधन्यवाद।

भवदीय

18/11/2024

सहायक महाप्रबंधक (पर्यावरण)
एन.एम.डी.सी.स्टील लिमिटेड, नगरनार

संलग्न :– उपरोक्तनुसार
प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र/वन सं. एवं अ.) छ.ग. नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अधिशाशी निदेशक, एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड नगरनार की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक), एन.एम.डी.सी. नगरनार की ओर सादर सूचनार्थ।
5. मुख्य महाप्रबंधक (आयरन जोन) एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड नगरनार की ओर सादर सूचनार्थ।
6. मुख्य महाप्रबंधक (स्टील जोन) एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड नगरनार की ओर सादर सूचनार्थ।

F. No. J-11011/681/2008- IA II (I)
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(I.A. Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110 003

E-Mail : pb.rastogi@nic.in
Telefax : 011-24367668
Dated 15th September, 2009

To,

M/s National Mineral Development Corporation Ltd.
Bailadila Bhawan, Machkot Office
Geedam Road, Jagdalpur
Chhattisgarh.

E-mail : hois@nmdc.co.in ; Fax No.: 040-23531829;

Subject : Integrated Steel Plant (3.0 MTPA) at Village Nagar nagar, Tehsil Jagdalpur, District Bastar, Chhattisgarh by M/s National Mineral Development Corporation Ltd. – Environment clearance reg.

Ref. : Your letter no. GM/EOI/EMP/F-21B/Vol.III/3432 dated 27th April, 2009.

Sir,

This has reference to your letter no. GM/EOI/EMP/F-21B/Vol.III/3639 dated 27th April, 2009 alongwith Form I, Pre-feasibility Report, EIA/EMP, Public Hearing Report and related project documents and subsequent correspondence vide your letter dated 3rd, 9th & 13th July, 2009 for environmental clearance on the above mentioned project.

2.0 The Ministry of Environment and Forests has examined the application. It is noted that proposal of M/s National Mineral Development Corporation Ltd. is for the Integrated Steel Plant (3.0 MTPA) at Village Nagarnar, Tehsil Jagdalpur, District Bastar, Chhattisgarh. Total project area is 721.58 ha. 402.6 ha. has already been allocated by the Govt. of Chhattisgarh vide Gazette Notification No. 33 dated 17.08.2001. 26.72 ha. forest land (Revenue forest 23.92 ha. & Protected Forest 2.8 ha) is also involved. Rehabilitation and resettlement (R & R) is involved and will be implemented in consultation with the State Govt. Kanger RF (6 km, SE), Ulnar RF (7.9 km, NW), Kakadpasar RF (5,3, NW), Chalenguda RF (8.5 km., NW) and Metaweda RF (13.6 km, NW) are located within 10 km radius of the project site. Total cost of the project is Rs. 17,076.10 Crores. Rs. 916.00 Crores and Rs. 219.00 Crores are earmarked towards capital cost and recurring cost/annum for environmental pollution control measures. Following will be the configuration of the facilities :

S.N.	Facilities	Configuration
1	Coke oven plant with CDCP (Recovery type)	2x67 ovens, 7.0 m tall
2	Sinter Plant	1x460 m²
3	Blast furnace	1x 4,500 m³
4.	De-sulphurisation units	2x175 t
5.	Pig casting machine	3x1,700 TPD

6.	Slag granulation plant	Catering capacity for production of 848,700 granulated slag
7.	Basic oxygen furnace	2x175 T
8.	Ladle furnace	2x175 T
9.	RH-OB Plant (Heraeus-Rheinstahl with Oxygen blowing process)	1x175 T
10.	Thin slab caster coupled with hot strip mill	2x1 strand
11.	Hot strip mill with finishing train	6 strands; 28,96,000
12.	Oxygen Plant	2x1,000 TPD
13.	Calcination plants ▪ Lime Plant ▪ Dolo Plant	 2x600 TPD 1x300 TPD
14.	Power Blowing Station (BF gas based)	3x30 MW

Following will be the size of the project :

- Gross hot metal from 3.32 MTPA
- Liquid steel from 3.00 MTPA
- Production of finished long product will be 2.896 MTPA HR Coils

Final saleable product mix will be manufactured :

S.N.	Items :	Annual Production (Tons)
A	Pig Iron	2,72,800
B	Hot strip mill	
C	HR coils / sheets / plates	
1	HR Plates - (IS 2062, IS 5986, IS 8500, IS 3039)	4,00,000
2	HR Plates - (IS 2002 & IS 2041)	4,00,000
3	API-5L quality plates – upto x80	5,00,000
4	HR Sheets (IS 3196)	2,00,000
5	LPG cylinders (IS 6240)	2,00,000
6	HR coils (IS 10748, IS 1079)	9,46,000
7	High Carbon Steel (1100-1650) and other alloy steel	50,000
8	Silicon Steel (DIN 46400-3)	1,00,000
9	Automotive Steel	
	- 1250-1524	50,000
	- 1525-1650	50,000
	Total	28,96,000
D	By-products : Ammonium Sulphate Crude Tar	 24,000 TPA 70,080 TPA

3.0 Iron ore lump (BF grade), Iron ore fines, Iron ore lumps (SMS grade), Lime stone fines, lime stone (SMS grade), Dolomite fines for SP, Dolomite fines (SMS grade) Quartzite, Coking coal, Non-coking coal, Purchased DRI, Scrap, Fe-Mn, Fe-Si, Si-Mn, Aluminium and Fluorospar will be used as raw materials and most of the raw material will be transported by rail.

4.0 Steel will be produced through BOF-LF-RH-OB degasser route alongwith coke oven, sinter plant and rolling/finishing. BF gas, coke oven gas, mixed gas (BF & CO gas), BOF will be used to generate power and also in various plants. Coke oven (by-product recovery type) will be

installed and essential by-products like ammonia, crude tar and elemental Sulphur will be recovered. Naphthalene scrubbing and solar oil regeneration unit will be installed to remove and recover naphthalene from coke oven gas. Electrostatic precipitator, gas cleaning plant comprising of dust catcher and 2-stage venturi scrubbers, bag filters, high pressure liquor ammonia (HPLA), Pushing emission control (PEC) system, fume and dust extraction system, water sprinkling, dry fogging system will be provided to control air emissions. Total make-up water requirement from Sabri River (a tributary of River Indravati) will be 3,747 m^3/hr. and MoU with Chhattisgarh Government for providing 4,131 m^3/hr is already signed on 3rd September, 2008 and 11th June, 2009. No ground water will be drawn. All the effluent will be treated and used for ash handling, dust suppression and green belt development. No effluent will be discharged and 'zero' discharge will be adopted. Blast furnace slag will be granulated and sold to cement plants/road construction. BF & BOF sludge, BF flue dust, BOF scale, mill scrap, lime dust, dolo dust shall be used in sinter plant. BOF slag shall be reused in manufacturing cement or in sinter plant. Skull/scrap and mill scrap shall be reused in BOF plant. Cinder shall be used in road construction. Tar sludge from coke oven decanter alongwith BOD sludge shall be sent to secured land fill. Spent lubricants and lead acid batteries will be sold to authorized recyclers.

5.0 Public Hearing/Public Consultation meeting was held on 27th February, 2009.

6.0 The Ministry of Environment and Forests hereby accords environmental clearance to the above project under the provisions of EIA Notification dated 14th September, 2006 as amended subsequently subject to strict compliance of the following specific and general conditions:

A. SPECIFIC CONDITIONS :

i) No construction activity should be started at the site without obtaining prior approval from the Cenral/State Govt. for the 25.72 forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980 and subsequent amendments.

ii) Efforts shall be made to reduce RSPM levels in the ambient air and a time bound action plan shall be submitted. On-line ambient air quality monitoring and continuous stack monitoring facilities for all the stacks and sufficient air pollution control devices shall be provided to keep the emission levels below 100 mg/Nm^3. At no time, the emission level shall go beyond the prescribed standards. Interlocking facilities shall be provided so that process can be automatically stopped in case emission level exceeds the limit.

iii) Electrostatic precipitator (ESP) shall be provided to sinter plant, stock house and cast house of blast furnace. Gas cleaning plant comprising of dust catcher and 2-stage venturi scrubber followed by wet ESP shall be provided to blast furnace (BF). Bag filters shall be provided to ladle furnace. Dust extraction system shall be provided to coke oven. Air emissions from coke oven operations shall be also controlled by providing high pressure liquor ammonia system, pushing emission control (PEC), leak proof doors etc. BF gas, coke oven gas, mixed gas (BF & CO gas), BOF shall be used to generate power. Part of the BF gas shall be supplied to CDP Plant, cast house; CO to BOF shop & CCM shop and coke oven and BF gas to coke oven battery, hot strip mill, sinter plant hot strip mill, lime and dolomite plant. The SPM levels from all the sources shall be controlled within 100 mg/Nm^3.

iv) All the standards prescribed for the coke oven plants shall be followed as per the latest guidelines. *Proper and full utilization of coke oven gases in power plant using* waste heat recovery steam generators shall be ensured and no flue gases shall be discharged into the air. All the essential by-products like ammonia, crude tar and elemental Sulphur shall be recovered. Naphthalene scrubbing and solar oil regeneration unit shall be installed to remove and recover naphthalene from coke oven gas.

v) In-plant control measures for checking fugitive emissions from all the vulnerable sources shall be provided. Dust extraction system with bag filters shall be provided to coal crusher house/coke sorting plant, raw material handling section, SMS material handling area, lime and dolomite plant. Water sprinkling and dry fogging system shall be provided for dust suppression from raw material handling area. Dust extraction system with bag filters/ESP shall be provided to stock house and cast house of blast furnace (BF). Bag filters shall be provided to ladle furnace. Dust extraction system with ESP shall be provided to sinter plant to control process and fugitive emissions. All the roads in the work area shall be asphalted. Monitoring of fugitive emissions in the work zone environment shall be carried out regularly as per the CPCB guidelines and reports submitted to Jharkhand PCB / CPCB and Ministry's Regional Office at Bhubaneswar.

vi) Gaseous emission levels including secondary fugitive emissions from blast furnace and sinter plant shall be controlled within the latest permissible limits issued by the Ministry and regularly monitored. Guidelines / Code of Practice issued by the CPCB shall be followed. The emission standards issued by the Ministry in May, 2008 for the sponge plants shall be followed.

vii) Vehicular pollution due to transportation of raw material and finished product shall be controlled and efforts shall be made to reduce impact of the transport of the raw materials and end products on the surrounding environment including agricultural land. *Proper arrangements shall also be made to control dust emissions during* loading and unloading of the raw material and finished product. All the raw materials including fly ash shall be transported in the closed containers only and shall not be overloaded. Vehicular emissions shall be regularly monitored.

viii) *Total water requirement from Sabri and Indravati River shall not exceed 3,747 m^3/hr* as per the MoU signed with Water Resources Department, Government of Chhattisgarh on dated 11th June, 2009. No ground water shall be used. Closed circuit system shall be adopted. Cooling tower blow down water shall be used in gas cleaning plant of blast furnace and then reused for slag granulation/slag cooling. Blow down water from BOF re-circulation system shall be reused in SMS slag yard. Blow down water from power plant shall be reused in pig casting machines. Neutralizing pit shall be provided to soft and DM water plant. Settling tanks fitted with oil & grease traps shall be used for treatment of effluent from thin slab caster and hot strip mill. Individual shop-wise wastewater treatment facilities shall be provided. All the effluent shall be treated in effluent treatment plant (ETP) and treated wastewater including cooling tower blow down shall be recycled and reused for ash handling, dust suppression and green belt development and various other project related activities. No wastewater shall be discharged outside the premises and 'Zero' effluent discharge shall be ensured. Domestic effluents shall be treated in sewage

treatment plant and sewage sludge shall be used as manure for green belt development.

ix) The wastewater from coke oven and by-product recovery plant containing ammonia, cyanides, thio-cyanates, phenols, oil & grease shall be treated in BOD plant and reused for quenching of hot coke. Continuous monitoring of Total Organic Compounds (TOC) shall be done at the outlet of ETP (BOD plant).

x) The water consumption shall not exceed 16 m^3/Ton of Steel as per prescribed standard.

xi) Ground water monitoring around the solid waste disposal site / secured landfill (SLF) shall be carried out regularly and report submitted to the Ministry's Regional Office at Bhopal, CPCB and CECB.

xii) All the blast furnace (BF) slag shall be granulated and provided to cement manufacturers for further utilization. BF & BOF sludge, BF flue dust, BOF scale, mill scrap, lime dust, dolo dust shall be used in sinter plant. BOF slag shall be reused in manufacturing cement or in sinter plant. Skull/scrap and mill scrap shall be reused in BOF plant. Cinder shall be used in road construction. Tar sludge from coke oven decanter alongwith BOD sludge shall be sent to secured land fill. All the other solid wastes including broken refractory mass shall be properly disposed off in environment-friendly manner. Oily waste, spent lubricants and lead acid batteries shall be provided to authorized recyclers/reprocessors.

xiii) A time bound action plan shall be submitted to reduce solid waste, its proper utilization and disposal to the Ministry's Regional Office at Bhopal.

xiv) Proper handling, storage, utilization and disposal of all the solid waste shall be ensured and regular report regarding toxic metal content in the waste material and its composition, end use of solid/hazardous waste shall be submitted to the Ministry's Regional Office at Bhopal, CECB and CPCB.

xv) Proper utilization of fly ash shall be ensured as per Fly Ash Notification, 1999 and subsequent amendment in 2003. All the fly ash shall be provided to cement and brick manufacturers for further utilization and 'Memorandum of Understanding' shall be submitted to the Ministry's Regional Office at Bhopal.

xvi) As proposed, green belt shall be developed in 33 % area within and around the plant premises as per the CPCB guidelines in consultation with DFO.

xvii) Recommendations of the State Forest Department shall be obtained regarding likely impact of the proposed steel plant on the surrounding reserve forests viz. Kanger RF, Ultnar RF, Kakedpasar RF, Chelanguda RF and Metawada RF and implemented.

xviii) Rehabilitation and resettlement shall be implemented as per the policy of the Govt. of Chhattisgarh. Compensation paid in any case shall not be less than the norms prescribed under the National Resettlement and Rehabilitation Policy, 2007.

xix) All the commitments made to the public during the Public Hearing / Public Consultation meeting held on 27[th] February, 2009 shall be satisfactorily implemented.

xx) All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the Steel Sector shall be implemented.

xxi) The company shall provide housing for construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

B. GENERAL CONDITIONS:

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

ii. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment and Forests.

iii. The gaseous emissions from various process units shall conform to the load/mass based standards notified by this Ministry on 19[th] May, 1993 and standards prescribed from time to time. The State Board may specify more stringent standards for the relevant parameters keeping in view the nature of the industry and its size and location. At no time the emission level shall go beyond the prescribed standards. On-line continuous monitoring system shall be installed in stacks to monitor SPM and interlocking facilities shall be provided so that process can be automatically stopped in case emission level exceeds the limit.

iv. In plant control measures for checking fugitive emissions from all the vulnerable sources like spillage/raw materials/coal handlings etc. shall be provided. Further, specific measures like provision of dust suppression system consisting of water sprinkling, suction hoods, fans and bag filters etc. shall be installed at material transfer points, blast furnace stock house and other enclosed raw material handling areas. Centralized de-dusting system i.e. collection of fugitive emissions through suction hood and subsequent treatment through bag filter or any other device and finally emitted through a stack of appropriately designed height conforming to the standards for induction furnaces existing in the industry and proposed induction and arc furnaces. Fugitive emissions shall be regularly monitored and records maintained.

v. At least four ambient air quality-monitoring stations should be established in the downward direction as well as where maximum ground level concentration of SPM, SO_2 and NO_X are anticipated in consultation with the CECB. Data on ambient air quality and stack emission should be regularly submitted to this Ministry including its Regional Office at Bhopal and the CECB/CPCB once in six months.

vi. Industrial wastewater shall be properly collected, treated so as to conform to the standards prescribed under GSR 422 (E) dated 19[th] May, 1993 and 31[st] December, 1993 or as amended form time to time. The treated wastewater shall be utilized for plantation purpose.

vii. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards (85 dBA) by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under EPA Rules, 1989 viz. 75 dBA (daytime) and 70 dBA (nighttime).

viii. Occupational Health Surveillance of the workers should be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

ix. The company shall develop surface water harvesting structures to harvest the rain water for utilization in the lean season besides recharging the ground water table.

x. The project proponent shall also comply with all the environmental protection measures and safeguards recommended in the EIA / EMP report. Further, the company must undertake socio-economic development activities in the surrounding villages like community development programmes, educational programmes, drinking water supply and health care etc.

xi. As proposed, Rs. 916.00 Crores and Rs. 219.00 Crores shall be earmarked towards capital cost and recurring cost/annum for environment pollution control measures to implement the conditions stipulated by the Ministry of Environment and Forests as well as the State Government. An implementation schedule for implementing all the conditions stipulated herein shall be submitted to the Regional Office of the Ministry at Bhopal. The funds so provided should not be diverted for any other purpose.

xii. A copy of clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad / Municipal Corporation, Urban Local Body and the local NGO, if any, from whom suggestions / representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the web site of the company by the proponent.

xiii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of the MOEF, the respective Zonal Office of CPCB and the CECB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO_2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company in the public domain.

xiv. The project proponent shall also submit six monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions including results of monitored data (both in hard copies as well as by e-mail) to the Regional Office of MOEF at Bhubaneswar, the respective Zonal Office of CPCB and the CECB. The Regional Office of this Ministry at Bhopal / CPCB / CECB shall monitor the stipulated conditions.

xv. The environmental statement for each financial year ending 31[st] March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules,

1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company alongwith the status of compliance of environmental conditions and shall also be sent to the respective Regional Offices of the MOEF by e-mail.

xvi. The Project Proponent shall inform the public that the project has been accorded environmental clearance by the Ministry and copies of the clearance letter are available with the CECB and may also be seen at Website of the Ministry of Environment and Forests at http:/envfor.nic.in. This shall be advertised within seven days from the date of issue of the clearance letter, at least in two local newspapers that are widely circulated in the region of which one shall be in the vernacular language of the locality concerned and a copy of the same should be forwarded to the Regional office.

xvii. Project authorities shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities and the date of commencing the land development work.

7.0 The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

8.0 The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

9.0 Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Environment Appellate Authority, if preferred within a period of 30 days as prescribed under Section 11 of the National Environment Appellate Act, 1997.

10.0 The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 2003 and the Public (Insurance) Liability Act, 1991 along with their amendments and rules

(Dr. P. B. Rastogi)
Director

Copy to:

1. The Secretary, Department of Environment, Govt. of Chhattisgarh, Chhattisgarh.
2. The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi-110032.
3. The Chairman, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Nanak Niwas, Civil Lines, Raipur, Chhattisgarh.
4. The Chief Conservator of Forests (Eastern), Regional Office [Western Zone), E-3/240, Arera Colony, Bhopal - 462 016, M.P.
5. Adviser (IA-II), Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi.
6. Monitoring Cell, Ministry of Environment & Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi.
7. Guard file.
8. Record file.

15/5/09

(Dr. P. B. Rastogi)
Director

ANNEXURE IV

PROCEEDINGS OF PUBLIC HEARING - HINDI

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाउसिंग, बोर्ड कालोंनी, चित्रकोट रोड़, जगदलपुर (छ.ग.)

क्रमांक /1421/ क्षे.कार्या. /तक /छ.प.सं.मं./2009 जगदलपुर, दिनांक 28.2.09

1. जिलाध्यक्ष महो.
   कलेक्टर कार्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत कार्यालय, जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)
3. आयुक्त नगर निगम जगदलपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)
4. सरपंच
   ग्राम पंचायत नगरनार जिला–बस्तर (छ.ग.)
5. सरपंच
   ग्राम पंचायत कस्तुरी जिला–बस्तर (छ.ग.)
6. सरपंच
   ग्राम पंचायत आमागुड़ा–मगनपुर जिला–बस्तर (छ.ग.)

ग्राम पंचायत कस्तुरी जनपद पंचायत जगदलपुर

ग्राम पं. आमागुड़ा विकास खंड जगदलपुर (छ.ग.)

विषय – मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा ग्राम–नगरनार, तहसील–जगदलपुर, जिला – बस्तर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड, स्टील प्लांट 3.0 एम.टी.पी.ए. के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 27.02.2009 को प्रेरणा हॉल कलेक्ट्रेट परिसर जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. में मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा ग्राम–नगरनार, तहसील–जगदलपुर, जिला – बस्तर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 3.0 एम.टी.पी.ए. हेतु लोकसुनवाई सम्पन्न हुई।

लोकसुनवाई हेतु भारत सरकार का राजपत्र 14 सितम्बर 2006 के बिन्दु क्रमांक 6.6 अनुसार, सम्पन्न लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण कार्यालय के सूचना पटल में अवलोकन हेतु उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।
लोकसुनवाई कार्यवाही विवरण।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
जगदलपुर, दिनांक 28.2.09

पृ.क्रमांक /1422/ क्षे.कार्या. /तक /छ.प.सं.मं./2009

प्रतिलिपि:– प्रोजेक्ट मैनेजर, एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट, बैलाडीला भवन जगदलपुर की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
जगदलपुर (छ.ग)

28 FEB 2009

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा ग्राम–नगरनार, तहसील–जगदलपुर, जिला – बस्तर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड, स्टील प्लांट 3.0 एम.टी.पी.ए. के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई दिनांक 27.02.2009 (स्थान :– कलेक्ट्रेट परिसर (प्रेरणा हॉल) जगदलपुर, जिला–बस्तर छ.ग.) का कार्यवाही विवरण :–

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पूर्व में लागू इन्व्हारमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, 1994 को अधिकमित कर एस.ओ. 1533 (ई), दिनांक 14.09.2006 के द्वारा इन्व्हारमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, 2006 लागू कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन दिनाक 14.09.2006 से प्रभावशील है। उद्योगों एवं प्रोजेक्ट्स के लिए भारत का राजपत्र 14 सितम्बर 2006 के बिन्दु कमांक 4.0 अनुसार लोक सुनवाई पेनल की संरचना की गई।

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा ग्राम–नगरनार, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड, स्टील प्लांट 3.0 एम.टी.पी.ए., ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में वर्णित उद्योगों की सूची में सम्मिलित है। अतः इस परियोजना के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई आज दिनांक 27.02.2009 को प्रातः 11.00 बजे (स्थानः– कलेक्ट्रेट परिसर (प्रेरणा हॉल) जगदलपुर जिला–बस्तर छ.ग.) में निर्धारित की गई।

इस लोक सुनवाई की सूचना नियमानुसार एक माह पूर्व स्थानीय समाचार पत्र एवं नेशनल समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई। तथा संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच बाबत् ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट तथा समरी ई.आई.ए. रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की साफ्ट (सी.डी.) प्रति एवं हार्ड प्रति, जिलाध्यक्ष कार्यालय जिला–बस्तर जगदलपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जगदलपुर, आयुक्त, नगर पालिक निगम जगदलपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र जगदलपुर, सरपंच, ग्राम पंचायत नगरनार, सरपंच, ग्राम पंचायत कस्तुरी, सरपंच, ग्राम पंचायत आमागुड़ा / मगनपुर तहसील जगदलपुर जिला–बस्तर, डॉयरेक्टर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नः–3 रविशंकर नगर भोपाल, सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 1–तिलक नगर, अंवति विहार, शिव मंदिर चौक, मेन रोड रायपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी धरमपुरा जगदलपुर, में भी अवलोकन हेतु रखा गया।

कमशः–2

लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम कलेक्टर जगदलपुर के निर्देशानुसार आवेदक कंपनी मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड ग्राम–नगरनार, तहसील–जगदलपुर के श्री अलोक मेहता प्रोजेक्टर मैनेजर को पावर प्वाइट प्रेजेन्टेशन के द्वारा समस्त उपस्थित जनता के समक्ष प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। उनके द्वारा विभिन्न प्रतिनिधि तथा पैनल सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर दिया गया। तदोपरांत समस्त उपस्थित नागरिकों को एक के बाद एक अपनी बात कहने का अवसर दिया गया। इस लोक सुनवाई के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर को कोई भी लिखित शिकायत प्राप्त नही हुई है। लोकसुनवाई के दौरान एक सहमति पत्र/सुझाव सरपंच ग्राम पंचायत नगरनार, सरपंच ग्राम पंचायत कस्तुरी तथा सरपंच ग्राम पंचायत आमागुड़ा के द्वारा सम्मलित रूप से दिया गया है जो कि प्रभावित ग्राम हैं।

लोक सुनवाई के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियां/सुझावः–

1. डॉ. सुभाऊ कश्यप, विधायक बस्तर– सम्मानीय जिलाधीश, सभी जगदलपुर के सम्मानित जन समूह एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए भाई बन्धू। एन.एम.डी.सी. का प्लान्ट लगाने का कार्य उत्साह वर्धन तो है लेकिन हमारे गांव की जनता खुश नही है। हमारे गांव के जिन 203 लोगो को नौकरी नही दी गई है उनको भी विशेष ध्यान दिया जाये, 8 साल इन्तजार के बाद अगर स्टील प्लांट लगता है तो ठीक है। पानी के लिए शबरी नदी से जो प्रयास किया जा रहा है उस पर भी विचार किया जाये। जितनी भी बाधाएं है दूर हो जितना जल्दी कारखाना बने उतना ही ठीक होगा। मैं गांव के लोगों से बात कर यह बात बोल रहा हूँ, लोग चाहते है कि प्लांट लगे। बहुत जल्दी हो। स्थानीय लोगों की जो चिन्ता है उसका भी ध्यान दिया जाय। मै जो देख रहा हूँ कि एन.एम.डी.सी का जो प्रयास है वह कारगर होना चाहिए पानी के लिए ध्यान दे कि शबरी नदी से जो पानी आयेगा उससे पर्यावरण को तो नुकसान नही होगा। आशा करता हूं कि गांव वालों की भावनाओं के अनुसार जल्द ही स्टील प्लांट लगाया जावेगा। मै स्टील प्लांट लगाने के लिए अपने तथा गांव वालों के तरफ से सहमति देता हूँ।

क्रमशः–3

एम.एस. परस्ते, कलेक्टर, जगदलपुर– जनसुनवाई में उपस्थित मान. विधायक, श्री कश्यप जी, एन.एम.डी.सी के अधिकारीगण, श्री त्रिवेदी जी, सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार बन्धुओं एवं ग्रामीण जो आए हुए, सभी का स्वागत है। आज जनसुनवाई में मान. विधायक जी जो उद्बोधन किये है मै उसका सम्मान करता हूँ। मै चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी फैक्ट्री लगे, रोजगार आदि की उपलब्धता होगी। अब और देरी नही करना चाहिए। स्कूल के लिए जमीन दे दी गई है। अस्पताल के लिए भी जमीन दे दी गई है। स्कूल एवं अस्पताल बनवाया जाय। जितना जल्दी हो सके यहां पर फैक्ट्री चालू करें। अब जनता माफ नही करेगी। हमारे तरफ से जितना सहयोग हो सकेगा उतना मै दूंगा। मै सभी यहां पर उपस्थित पत्रकार बन्धु, गणमान्य नागरिक श्रेष्ठ नागरिक सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस जनसुनवाई में अपना सहयोग प्रदान करें। तथा मै पुनः एन.एम.डी.सी को अगाह करता हूँ कि यदि अब विलम्ब किया गया तो कड़ी कार्यवाही की जावेगी। और आशा करता हूँ कि गम्भीरता से लेते हुए आगे की तुरंत कार्यवाही चालू की जावेगी। गांव वालों की जो चिन्ताएं है मै समझता हूँ अब और लेट नही करना चाहिए। लोक सुनवाई के बाद तुरंत कार्यवाही चालू करें।

जिला प्रशासन गांव वालों के साथ है। अभी तक कोई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नही की गई है। जब तक 203 लोगो को नौकरी नही दे देते उसके बाद ही आगे की कार्यववाही की जावेगी। कोई भी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जावेगी, तो उसमें ग्रामवासियों के समर्थन, पारदर्शिता जनप्रतिनिधि एवं प्रभावित के सहमति से ही कार्यवाही की जावेगी। जिला प्रशासन किसानों के साथ है, अभी रजिस्ट्री बंद नही किया है जब तक सभी को नौकरी नही मिल जाती, पुर्नवास नीति जो तय की गई है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इस पर आप कन्फ्यूज न हो। पहले एनएमडीसी द्वारा छोटा सयंत्र लगाया जा रहा था। अब छोटे सयंत्र के बदले बड़ा सयंत्र लगाया जा रहा है। इस लिए अब उद्योग को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ रही है।

आज यहां पर माननीय विधायक जी, जनप्रतिनिधि सब उपस्थित हुए है। आप लोगों ने लोकसुनवाई के दौरान उद्योग लगाने के पक्ष में सहमति जताई अपना सहयोग प्रदान किया, आप सभी धन्यवाद के पात्र है। आप लोगों ने बस्तर के विकास के लिए एक मंच पर उपस्थित होकर सहमति दी है। मै सभी का आभार व्यवत करता हूँ निश्चित रूप से नगरनार प्लांट लगाया जाये। एन.एम.डी.सी को बताना चाहूंगा कि बस्तर की जनता बहुत भोली भाली है जिनकी जमीन जायेगी उनको कितना दुख होगा। आपको उनके विकास के लिए पूरा–पूरा सहयोग करना है। जो सिखाना, पढ़ाना है, आई.टी.आई. के माध्यम से किया जाये आप तत्काल इस काम को चालू करें जिला प्रशासन की ओर से आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

कमशः–4

3. श्री संतोष बाफना, विधायक जगदलपुर– एन.एम.डी.सी द्वारा प्रस्तावित प्लांट के लोकसुनवाई में उपस्थित कलेक्टर, गणमान्य नागरिक, अधिकारीगण सभी का स्वागत है। एन.एम.डी.सी के द्वारा जो प्लांट लगाया जा रहा है। 2001 में जो लोकसुनवाई हुई थी वह नही हो पाया, जो अब सुनवाई की जा रही है। मै अपने तरफ से यह कहूंगा कि जल्द से जल्द काम चालू हो तथा प्रदूषण नियत्रण के लिए क्या कदम उठायेगें तथा पानी कहां से लायेगें। वहां पर जोरा नाला पर डेम बनेगा तो समस्या क्या होगी, पानी कहॉ से लायेगें तथा हम पूरा–पूरा समर्थन करते है स्टील प्लांट लगाने के लिए। यह आशा करता हूॅ कि जल्द से जल्द काम चालू हो। धन्यवाद।

4. श्री अलोक मेहता प्रोजेक्ट मैनेजर– पर्यावरण के संबंध में हमने क्या–क्या उपाय किए है इस पर हमारे प्रतिनिधि ने प्रकाश डाला। यह परियोजना बहुत बडी परियोजना है परियोजना के साथ विकास कार्य भी बहुत तेजी से होगा। भिलाई स्टील प्लांट के समान ही यहां भी आसपास में बहुत विकास कार्य होगा। क्षेत्र में प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। मेन इण्डस्ट्री के साथ–साथ छोटे बड़े उद्योग भी आएगें जगदलपुर क्षेत्र को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जब भी प्लांट आता है। तो शुरू में परेशानी होती है। बाद में बहुत बडा विकास होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अभी तक जो भी विकास कार्य किया गया है। आपके सामने ही है। भविष्य में भी एन.एम.डी.सी. विकास कार्य में पीछे नही रहेगा।

एनएमडीसी द्वारा 2 स्कूल,मिशन/ट्रस्ट के द्वारा 300 बच्चों के रहने, पढ़ाई आदि का खर्च वहन किया जायेगा। डी.पी.एस. स्कूल, सुपर स्पेशीलिटी अस्पताल खोलने आदि का पहल किया जायेगा।

5. श्री महेन्द्र कर्मा पूर्व नेताप्रतिपक्ष जगदलपुर – आज के इस जनसुनवाई में कलेक्टर बस्तर सभी अधिकारीगण गावं से आए सभी लोग, इस जनसुनवाई में प्लांट के संबध में जो प्रदूषण के रोकने के लिए जो आपकी तैयारी है, स्वागत योग्य है। इस प्लांट के लिए जो जगह लिया गया है उस ग़ावं के लोगों को नौकरी नही मिली है लोग हड़ताल पर है, उस पर ध्यान दिया जाये। तथा प्रशासन भी ध्यान दे अभी जो पेपर मे आया है कि वहां पर जमीन खरीदने एवं बेचनें में प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। जो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी स्पष्ट किया जाये, प्राप्त जानकारी के अनुसार एनएमडीसी को फिर से 4 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण की बात कही जा रही है। जिनकी जमीन ली जायेगी, दोनो ही पक्षों की बात सुनना होगा यह निगोसियेशन बहुत जरूरी है। हम लोगों ने हमेशा औद्योगीकरण का पक्ष लिया है। उद्योग लगना ही चाहिए।

कमशः–5

6. श्री सुधीर पाण्डे सांसद प्रतिनिधि— मै जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय महेन्द्र कर्मा जी ने जो भी हड़ताल की बात उठाई, माननीय सांसद जी के निवास में चर्चा की गई, एन.एम.डी.सी प्रतिनिधि एवं गांव वालों के साथ बैठक कर 31 मार्च 2010 तक सभी प्रभावितों को नौकरी देने के संबंध में लिखित आश्वासन दिया गया है।

7. श्री के.के. झा शिक्षाविद् जगदलपुर— बहुत सौभाग्य की बात है कि बस्तर जिला सबसे धनी सम्पन्न एवं विकासशील क्षेत्र बनकर रहेगा। एन.एम.डी.सी. द्वारा प्लांट लगाये जाने का स्वागत करता हूँ समर्थन करता हूँ प्लांट लगे। इस क्षेत्र का विकास हो। विश्व में पर्यावरण बचाने की चिन्ता हो गई है। हमें उतनी चिन्ता नही करनी चाहिए। वर्तमान में अच्छे—अच्छे उपकरण आ गये है, साफ जाहिर है हमे कोई तकलीफ नही होगी। सैकड़ों मील दूर से पानी लाकर कार्य किया जा सकता है। 50 कि.मी. दूरी यानी शबरी नदी से पानी आने से कोई परेशानी नही होगी। प्लांट लगना चाहिए क्षेत्र का विकास होना चाहिए।

8. श्री लैखन बघेल सरपंच नगरनार— पर्यावरण जनसुनवाई में आये सभी जन प्रतिनिधि, कृषक भाई आज नगरनार इस्पात के जनसुनवाई में हम चाहते है इस क्षेत्र का विकास हो ताकि इस क्षेत्र का नाम आए। हम चाहते है कि जो मेकान द्वारा तैयार ईआईए को मै पर्यावरण जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ। हमारा एन.एम.डी.सी एवं शासन यह कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण अत्याधुनिक हो।

1 — प्रदूषण नियंत्रण निरन्तर व वैज्ञानिक हो ताकि मानव,वन,पशु या पक्षी पर भी कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

2 — 2001 के प्रभावित किसानों व भविष्य में होने वाले प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा में उपेक्षा न हो तथा सब कुछ लिखित व सुनिश्चित हो।

3— सभी संबंधित पक्षों के बीच संवाद व विचार विमर्श की तयशुदा व्यवस्था होनी चाहिए।

हम आज के जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ हम अपने कृषक भाई के तरफ से यह बोलना चाहूंगा कि 2001 के लोकसुनवाई में किए गये वादे अनुसार 203 ग्रामीणों को आज तक रोजगार नही दिया गया। एन.एम.डी.सी द्वारा आश्वासन के उपरांत हड़ताल समाप्त कर दी गई है। बोला जा रहा है कि 10 हजार 15 हजार नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी तक 203 लोगों को नही मिल पाई है तो आगे क्या गारंटी है कि दे ही दी जायेगी। पुर्नवास की व्यवस्था प्रभावित ग्रामीणों के सहमति के बाद ही किया जाये। नगरनार प्लांट हेतु 4 हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के बारे में मुझे मिडिया से पता चला है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों से चर्चा कर कार्यवाही की जाये।

क्रमशः—6

9 श्री रिचर्सन उपसरपंच कस्तूरी— जनसुनवाई के बारे में जानकारी प्राप्त के बाद कोई भी समस्या नही है प्लाट लगें हम चाहते है जल्द से जल्द प्लांट लगे, स्कूल बने अस्पताल बने, हम सब सहमत है।

10. श्री नरेश कुशवाहा जगदलपुर— एन.एम.डी.सी द्वारा प्रत्यक्ष कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। कुशल अर्द्धकुशल कितने लोगों को रोजगार दिया जायेगा। यहां के स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाये। बैलाडीला में खालासी तक हैदराबाद से लेकर आते है। जो जोरा मे स्ट्रक्चर बनने को है वहां पर जोरा के संबंध में जो डेम बनना है, उसमें से कितना पानी लेगें क्योकि वहां के कृषक प्रभावित होगे, स्पष्ट करें।

11. श्री रेखचंद जैन जनरल सेकेटरी बस्तर चेम्बर आफ कॉमर्स— नगरनार क्षेत्र में जो प्लांट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तहे दिल से स्वागत है। विगत दिनों स्थानीय लोगो द्वारा हड़ताल की जा रही थी, उनकी भावनाओं को सुना, कलेक्टर साहब ने खुलासा किया है। जो 203 लोगों को नौकरी देना है, बड़ी बात नही है। 203 लोगों को नौकरी जल्द ही दिया जाये क्योकिं एन.एम.डी.सी. से करोड़ों का फायदा हो रहा है। इसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाये।

12. श्री संतोष जैन पूर्व अध्यक्ष बस्तर चेम्बर आफ कॉमर्स— पूरे विश्व में हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क है। इससे संबंधित प्लांट हमारे यहां लगे। एनएमडीसी, टाटा, एस्सार के प्रयासों का हम स्वागत करते है। प्रबंधन प्रशासन एवं प्रभावितों के बीच समन्नव्यय होना चाहिए। 203 लोगों को तत्काल कार्य पर रखा जाय। जो कार्य जनहित में किया जाना है तत्काल किया जाये। हम सभी प्लांट लगाने में सहमत है।

13. श्री विनोद सिंह, पत्रकार नईदुनिया — नगरनार के क्षेत्र का रिपोर्टर होने के नाते मै यह बताना चाहूंगा कि यहां का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां बोधघाट परियोजना, 8 साल से स्टील प्लांट लगना, टाटा का लोहण्डीगुड़ा मे लगना नही हो पाया, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बस्तरवासी बाध्य कर देगें कि आप यहां उद्योग लगाये, जो वादे किये थे। वो पूरा करें। जो प्रभावित है उन्हें तुरंत नौकरी पर रखे। नगरनार में स्टील प्लान्ट लगना बहुत जरूरी है। इस प्लांट का सभी लोग सपोर्ट करे। प्लांट लगे। इस प्लांट के लिए जिन्होंने जमीन दी है वे साधुवाद के पात्र है। एन.एम.डी.सी से मांग पूरी कराये तथा विकास कार्य के लिए औद्योगिकरण जरूरी है। सभी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। हमको बस्तर का विकास चाहिए।

कमशः—7

14. श्री दीपक मथरानी जिला पंचायत सदस्य– प्रदूषण के संबंध में आशंका क्लीयर नही हुई है लेकिन मै आशा करता हूँ कि क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा जाय। जो प्रभावित है उसको कम्पन्नसेसन दिया जाय। अपोलो अस्पताल खोला जाय। आई.टी.आई. खोला जाये। फार्मेशी आदि खोला जाये जिससे आम आदमी को लाभ मिले। हम सभी लोग स्टील प्लांट खोलने के सहमत है।

15. श्री चंचल प्रभात ग्राम–कस्तुरी– मै कस्तुरी ग्राम का प्रभावित किसान हूँ। इस्पात संयंत्र के बारे में सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नही की है। प्रभावित की जमीन जो ली गई है वह खेती की जमीन है। उसका मुआवजा सही तरीके से नही किया गया है। जिसकी जमीन गई है, अगर वह मर गया तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। मर जाने के बाद भी रोजगार की गांरटी रहे। पुर्नवास नीति स्पष्ट करे।

16. श्री सुरेश रावल पत्रकार, दैनिक भास्कर– 43 लोगों को पट्टा निरस्त किया गया था, उनकी दयनीय स्थिति है। उनके लिए क्या प्रस्ताव है?

17. श्री पुखराज बोथरा जगदलपुर– गांव वालों ने जो अपनी जमीन दी है, उनका मै तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। उद्घाटन के समय सुपर स्पेशलटी अस्पताल, खेल का मैदान आदि की घोषण की गई थी। इस प्रजेन्टेशन में उसका कोई भी उल्लेख नही है। एन.एम.डी.सी को यह प्रयास करना चाहिए कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिले तथा स्थानीय उद्योग प्रतिनिधियों को ही स्टील प्लांट से संबंधित उद्योग लगाने में प्राथमिकता दे। मेरी शिकायत, सुझाव है कि लोकसुनवाई में डायरेक्टर की उपलब्धता जरूरी है, मैप में प्रभावित गांव का उल्लेख नही किया गया है। प्रभावित गांवों का उल्लेख जरूर होना चाहिए। उद्योग को कम से कम 2500 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। भूमि अधिग्रहण की जाती है तो कम से कम लोग प्रभावित हो, यह सुनिश्चित किया जाये। दक्षिण कोरिया आदि देशों में कम जमीन में ही स्टील प्लांट लगाया जाता है। आशा करता हूँ कि प्लांट शीघ्र लगें एवं स्थानीय लोगों को ही रोजगार प्राप्त हो। एन.एम.डी.सी को शीघ्र से शीघ्र पहल कर प्लांट लगाना चाहिए। औद्योगिकरण से ही विकास होता है। मै महेन्द्र कर्मा जी, सासंद बलीराम कश्यप जी के प्रति, जिन्होंने बिना भेदभाव के समर्थन किया, आभार व्यक्त करता हूँ।

कमशः–8

लोकसनुवाई के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों एवं प्रश्नों का उद्योग प्रबंधन द्वारा समाधान कारक उत्तर दिया गया। तथा ग्रामवासियों की भावना के अनुरूप कार्य करने का आश्वासन दिया गया।

अंत में लोक सुनवाई पैनल ने मत व्यक्त किया कि सभी प्राप्त आपत्ति/सुझाव एवं ग्रामवासियों की मॉगो पर ध्यानपूर्वक विचार किया जावें, स्थानीय व्यक्तियों को ही नौकरी में प्राथमिकता दी जावे तथा परियोजना प्रबंधन द्वारा ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाये जिससे कि परियोजना से किसी भी तरह का जल/वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो। इन्हीं शर्तों पर ग्रामवासियों ने उद्योग लगाने हेतु सहमति दी है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाये।

1. एम.एस. परस्ते, कलेक्टर,
   जगदलपुर जिला–बस्तर।

   27/2/09
   कलेक्टर
   जिला बस्तर

2. ए.के. त्रिवेदी, क्षेत्रीय अधिकारी
   छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर।

   27/2/09

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा ग्राम–नगरनार, तहसील–जगदलपुर, जिला – बस्तर (छ.ग.) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड, स्टील प्लांट 3.0 एम.टी.पी.ए. के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई दिनांक 27.02.2009 के संबंध में सुझाव / विचार / आपत्तियाँ तथा उद्योग प्रबंधन द्वारा किये गये निराकरण की जानकारी :–

लोकसुनवाई दिनांक के पूर्व इस कार्यालय में कोई भी लिखित शिकायत / सुझाव प्राप्त नही हुआ।

दिनांक 27.02.2009 को लोकसुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्ति / सुझाव, विचार टीका–टिप्पणी की जानकारी :–

क्र	नाम एवं पता	विवरण	उद्योग प्रबंधन द्वारा किये गये निराकरण की जानकारी।
1.	डॉ. सुभाऊ कश्यप, विधायक बस्तर	– सम्मानीय जिलाधीश, सभी जगदलपुर के सम्मानित जन समूह एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए भाई बन्धु। एन.एम.डी.सी. का प्लान्ट लगाने का कार्य उत्साह वर्धन तो है लेकिन हमारे गांव की जनता खुश नही है। हमारे गांव के 203 लोग है उनका भी विशेष ध्यान दें । 8 साल इन्तजार के बाद अगर स्टील प्लांट लगता है तो ठीक है। पानी के लिए शबरी नदी से जो प्रयास किया जा रहा है उस पर भी विचार किया जाये। जितनी भी बाधाएं है दूर हो जितना जल्दी कारखाना बने उतना ही ठीक होगा। मैं गांव के लोगों से बात कर यह बात बोल रहा हूँ, लोग चाहते है कि प्लांट लगे। बहुत जल्दी हो। स्थानीय लोगों की जो चिन्ता है उसका भी ध्यान दिया जाय। मै जो देख रहा हूँ कि एन.एम.डी.सी का जो प्रयास है वह कारगर होना चाहिए पानी के लिए ध्यान दे कि शबरी नदी से जो पानी आयेगा उससे पर्यावरण को तो नुकसान नही होगा। आशा करता हूँ कि गांव वालों की भावनाओं के अनुसार जल्द ही स्टील प्लांट लगाया जावेगा। मै स्टील प्लांट लगाने के लिए अपने तथा गांव वालों के तरफ से सहमति देता हूँ।	– उद्योग प्रबंधन से सांसद महोदय श्री बलीराम कश्यप के निवास पर हुई चर्चा अनुसार शेष प्रभावितों को दिनांक 31.03.2010 तक नौकरी दे दिये जाने का आश्वासन दिया गया है, साथ ही उक्त के संबंध में कलेक्टर बस्तर को लिखित प्रतिवेदन दिया गया है। तहसील जगदलपुर जिला बस्तर, छ.ग. स्थित चारों ग्राम नगरनार, कस्तुरी, आमागुड़ा एवं मंगनपुर के 303 खातेदारों की 268.99 हेक्टेयर भूमि राज्य शासन द्वारा अधिगृहित कर आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना हेतु सितम्बर 2001 में एनएमडीसी को सौंपी गई। 303 में से 105 खातेदारों की शत् प्रतिशत भूमि अधिग्रहित की गई एवं उसी समय उन्हें तुरंत नौकरी प्रदान की गई। इनमें से 100 खातेदारों के नामित व्यक्तियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। शेष बचे हुए 05 खातेदारों में या तो नामांकन संबंधी विवाद है या तो वे शिक्षा पूर्ण कर रहे है।

			198 खातेदारों में से 12 खातेदारों के नामित जो कि स्नातक / स्नातकोत्तर / आई. टी. आई. है को भी नौकरी प्रदान कर दी गई है। इनमें से 09 नामित व्यक्तियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है बाकि 03 को नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। शेष प्रभावितों को उनकी योग्यता के अनुसार आई.टी.आई. व स्कूल में शिक्षा / प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन सभी को उनके व उनके परिवार के भरण पोषण हेतु रू 4600/- मासिक स्टायपण्ड दिया जा रहा है। आई.टी.आई. की यह योजना सितम्बर 2007 से प्रारंभ की गई एवं शेष व्यक्तियों के लिए शिक्षा / प्रशिक्षण की व्यवस्था दिसम्बर 2007 से जारी है। 26 नामित व्यक्ति या तो नाबालिग है या उनके बीच नामांकन संबंधी विवाद है। इस कारण [illegible] उपरोक्त योजना में हिस्सा नहीं ले रहे है।
2.	एम.एस. परस्ते, कलेक्टर, जगदलपुर	– जनसुनवाई में उपस्थित मान. विधायक, श्री कश्यप जी, एन.एम.डी.सी के अधिकारीगण, श्री त्रिवेदी जी, सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार बन्धुओं एवं ग्रामीण जो आए हुए, सभी का स्वागत है। आज जनसुनवाई में मान. विधायक जी जो उद्बोधन किये है मै उसका सम्मान करता हूं। मै चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी फैक्ट्री लगे, रोजगार आदि की उपलब्धता होगी। अब और देरी नही करना चाहिए। स्कूल के लिए जमीन दे दी गई है। अस्पताल के लिए भी जमीन दे दी गई है। स्कूल एवं अस्पताल बनवाया जाय। जितना जल्दी हो सके यहा पर फैक्ट्री चालू करें। अब जनता माफ नही करेगी। हमारे तरफ से जितना सहयोग हो सकेगा उतना मै दूंगा। मै सभी यहां पर उपस्थित पत्रकार	

		बन्धु, गणमान्य नागरिक श्रेष्ठ नागरिक सभी से अनुरोध करता हूं कि इस जनसुनवाई में अपना सहयोग प्रदान करें। तथा मै पुनः एन.एम.डी.सी को अगाह करता हूं कि यदि अब विलम्ब किया गया तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। और आशा करता हूं कि गम्भीरता से लेते हुए आगे की तुरंत कार्यवाही चालू की जावेगी। गांव वालों की जो चिन्ताएं है मै समझता हूं अब और देर नही करना चाहिए। लोक सुनवाई के बाद तुरंत कार्यवाही चालू करें। जिला प्रशासन गांव वाले के साथ है। अभी तक कोई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही नही की गई है। जब तक 203 लोगो को नौकरी नही दे देते उसके बाद ही आगे की कार्यववाही की जावेगी। कोई भी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जावेगी उसमें ग्रामवासियों के समर्थन, पारदर्शिता, जनप्रतिनिधि एवं प्रभावित के सहमति से ही कार्यवाही की जावेगी। जिला प्रशासन किसानों के साथ है, अभी रजिस्ट्री बंद नही किया है जब तक सभी को नौकरी नही मिल जाती, पुर्नवास नीति जो तय की गई है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इस पर आप कन्फ्यूज न हो। पहले एनएमडीसी द्वारा छोटा संयंत्र लगाया जा रहा था। अब छोटे संयंत्र के बदले बड़ा संयंत्र लगाया जा रहा है। इस लिए अब उद्योग को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। आज यहां पर माननीय विधायक जी, जनप्रतिनिधि सब उपस्थित हुए है। आप लोगो ने लोकसुनवाई के दौरान उद्योग लगाने के पक्ष में सहमति जताई अपना सहयोग प्रदान किया, आप सभी धन्यवाद के पात्र है। आप लोगो ने बस्तर के विकास के लिए एक मंच पर उपस्थित होकर सहमति दी है। मै सभी का आभार व्यक्त करता हूं निश्चित रूप से नगरनार प्लांट लगाया जाये। एन.एम.डी.सी को बताना चाहूंगा कि बस्तर की जनता बहुत भोली भाली है जिनकी जमीन जायेगी उनको कितना दुख होगा। आपको उनके विकास के लिए पूरा-पूरा सहयोग करना है। जो सिखाना, पढ़ाना है, आई.टी.आई. के माध्यम से किया जाये आप तत्काल इस काम को चालू करें जिला प्रशासन की ओर से आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।	– उद्योग प्रबंधन को मान्य है।

3.	श्री संतोष बाफना, विधायक जगदलपुर	– एन.एम.डी.सी द्वारा प्रस्तावित प्लांट के लोकसुनवाई में उपस्थित कलेक्टर, गणमान्य नागरिक, अधिकारीगण सभी का स्वागत है। एन.एम.डी.सी के द्वारा जो प्लांट लगाया जा रहा है। 2001 में जो लोकसुनवाई हुई थी वह नही हो पाया, जो अब सुनवाई की जा रही है। मैं अपने तरफ से यह कहूंगा कि जल्द से जल्द काम चालू हो तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठायेंगे तथा पानी कहां से लायेंगे। यहां पर जोरा नाला पर डेम बनेगा तो समस्या क्या होगी, पानी कहाँ से लायेंगे तथा हम पूरा–पूरा समर्थन करते है स्टील प्लांट लगाने के लिए। यह आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द काम चालू हो। धन्यवाद।	– उद्योग प्रबंधन द्वारा आधुनिक तकनीक के वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर के साथ–साथ टॉप रिकव्हरी टर्बाइन आदि भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तथा उद्योग के लिए जल प्रदाय छ.ग. शासन जल संसाधन विभाग के दिशा निर्देशानुसार शबरी नदी से प्राप्त होगा।
4.	श्री अलोक मेहता प्रोजेक्ट मैनेजर एन. एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट नगरनार जिला–बस्तर (छ.ग.)	– पर्यावरण के संबंध में हमने क्या–क्या उपाय किए है इस पर हमारे प्रतिनिधि ने प्रकाश डाला। यह परियोजना बहुत बडी परियोजना है परियोजना के साथ विकास कार्य भी बहुत तेजी से होगा। भिलाई स्टील प्लांट के समान ही यहां भी आसपास में बहुत विकास कार्य होगा। क्षेत्र में प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। मेन इण्डस्ट्री के साथ–साथ छोटे बडे उद्योग भी आएगें जगदलपुर क्षेत्र को भी बहुत बडा लाभ होगा। जब भी प्लांट आता है। तो शुरू में परेशानी होती है। बाद में बहुत बडा विकास होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में बहुत बडी वृद्धि होगी। अभी तक जो भी विकास कार्य किया गया है। आपके सामने ही है। भविष्य में भी एन.एम.डी.सी. विकास कार्य में पीछे नही रहेगा। एनएमडीसी द्वारा 2 स्कूल,मिशन / ट्रस्ट के द्वारा 300 बच्चों के रहने, पढाई आदि का खर्च वहन किया जायेगा। डी.पी.एस. स्कूल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने आदि का पहल किया जायेगा।	
5.	श्री महेन्द्र कर्मा पूर्व नेताप्रतिपक्ष जगदलपुर	– आज के इस जनसुनवाई में कलेक्टर बस्तर सभी अधिकारीगण गांव से आए सभी लोग, इस जनसुनवाई में प्लांट के संबंध में जो प्रदूषण के रोकने के लिए जो आपकी तैयारी है, स्वागत योग्य है। इस प्लांट के लिए जो जगह लिया गया है उस गांव के लोगों को नौकरी नही मिली है लोग हड़ताल	– उद्योग प्रबंधन से सांसद महोदय श्री बलीराम कश्यप के निवास पर हुई चर्चा अनुसार शेष प्रभावितों को दिनांक 31.03.2010 तक नौकरी दे दिये जाने का आश्वासन दिया गया है,

		पर है, उस पर ध्यान दिया जाये। तथा प्रशासन भी ध्यान दे अभी जो पेपर मे आया है कि यहां पर जमीन खरीदने एवं बेचने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। जो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी स्पष्ट किया जाये, प्राप्त जानकारी के अनुसार एनएमडीसी को फिर से 4 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण की बात कही जा रही है। जिनकी जमीन ली जायेगी, दोनो ही पक्षों की बात सुनना होगा यह निगोसियेशन बहुत जरूरी है। हम लोगों ने हमेशा औद्योगीकरण का पक्ष लिया है। उद्योग लगना ही चाहिए।	साथ ही उक्त के संबंध में कलेक्टर बस्तर को लिखित प्रतिवेदन दिया गया है। जिसके पश्चात् जोकरानुसार के पूर्व ही हड़ताल समाप्त हो गई। — उद्योग प्रबंधन को वर्तमान में 800 एकड़ भूमि की तत्काल आवश्यकता है। जिसमें वृक्षारोपण (33 प्रतिशत उद्योग के कुल क्षेत्रफल अनुसार), वाटर रिजर्व वायर, ऑग्जीलरी इकाईयों आदि हेतु। और 1600 एकड़ भूमि टाउनशीप निर्माण हेतु आवश्यक है। जिसके लिए नियमानुसार जिला प्रशासन से भूमि प्राप्त की जायेगी।
6.	श्री सुधीर पाण्डे सांसद प्रतिनिधि	— मै जानकारी देना चाहता हू कि माननीय महेन्द्र कर्मा जी ने जो भी हड़ताल की बात उठाई, माननीय सांसद जी के निवास में चर्चा की गई, एन.एम.डी.सी प्रतिनिधि एवं गांव वालों के साथ बैठक कर 31 मार्च 2010 तक सभी प्रभावितों को नौकरी देने के संबंध में लिखित आश्वासन दिया गया है।	—
7.	श्री के.के. झा शिक्षाविद जगदलपुर	— बहुत सौभाग्य की बात है कि बस्तर जिला सबसे धनी सम्पन्न एवं विकासशील क्षेत्र बनकर रहेगा। एन.एम.डी.सी. द्वारा प्लांट लगाये जाने का स्वागत करता हू समर्थन करता हू, प्लांट लगे। इस क्षेत्र का विकास हो। विश्व में पर्यावरण बचाने की चिन्ता हो गई है। हमें उतनी चिन्ता नही करनी चाहिए। वर्तमान में अच्छे-अच्छे उपकरण आ गये है, साफ जाहिर है हमे कोई तकलीफ नही होगी। सैकड़ो मील दूर से पानी लाकर कार्य किया जा सकता है। 50 कि.मी. दूरी पानी शबरी नदी से पानी आने से कोई परेशानी नही होगी। प्लांट लगना चाहिए क्षेत्र का विकास होना चाहिए।	—
8.	श्री लैखन बघेल सरपंच नगरनार	— पर्यावरण जनसुनवाई में आये सभी जन प्रतिनिधि, कृषक भाई आज नगरनार इस्पात के जनसुनवाई में हम चाहते है इस क्षेत्र का विकास हो ताकि इस क्षेत्र का नाम आए। हम	— 1 प्रदूषण नियंत्रण निरन्तर आधुनिकतम एवं वैज्ञानिक है, इसके लिए जो व्यवस्था की गई इसकी

		चाहते है कि जो मेकान द्वारा तैयार ईआईए को मै पर्यावरण जनसुनवाई का समर्थन करता हूं। हमारा एन.एम.डी.सी एवं शासन यह कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण अत्याधुनिक हो। 1 – प्रदूषण नियंत्रण निरन्तर व वैज्ञानिक हो ताकि मानव,वन,पशु या पक्षी पर भी कोई दुष्प्रभाव न पड़े। 2 – 2001 के प्रभावित किसानों व भविष्य में होने वाले प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा में उपेक्षा न हो तथा सब कुछ लिखित व सुनिश्चित हो। 3– सभी संबंधित पक्षों के बीच संवाद व विचार विमर्श की तयशुदा व्यवस्था होनी चाहिए। हम आज के जनसुनवाई का समर्थन करता हूं हम अपने कृषक भाई के तरफ से यह बोलना चाहूंगा कि 2001 के लोकसुनवाई में किए गये वादे अनुसार 203 ग्रामीणों को आज तक रोजगार नही दिया गया। एन.एम.डी.सी द्वारा आश्वासन के उपरांत हड़ताल समाप्त कर दी गई है। बोला जा रहा है कि 10 हजार 10 हजार नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी तक 203 लोगों को नही मिल पाई है तो आगे क्या गारंटी है कि वे ही दी जायेगी। पुनर्वास की व्यवस्था प्रभावित ग्रामीणों के सहमति के साथ ही किया जाये। नगरनार प्लांट हेतु 4 हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के बारे में मुझे मिडिया से पता चला है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों से चर्चा कर कार्यवाही की जाये।	जानकारी संलग्न (संलग्नक 1 में) है। इन उपाय के पश्चात् मानव,वन,पशु या पक्षी पर कोई दुष्प्रभाव नही पड़ेगा। 2– 2001 के प्रभावित किसानों का पुनर्वास योजना के तहत् सभी उपाय किये गये है। उन उपायों की जानकारी संलग्न (संलग्नक 2 में) है। 3– भविष्य में जो जमीन अधिग्रहित की जायेगी उसके लिए शासन के नियमानुसार सभी पक्षों के बीच संवाद की व्यवस्था रहेगी।
9.	श्री रिचर्सन उपसरपंच कस्तूरी	– जनसुनवाई के बारे में जानकारी प्राप्त के बाद कोई भी समस्या नही है प्लांट लगें हम चाहते है जल्द से जल्द प्लांट लगे, स्कूल बने अस्पताल बने, हम सब सहमत है।	–
10	श्री नरेश कुशवाहा जगदलपुर	– एन.एम.डी.सी द्वारा प्रत्यक्ष कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। कुशल अर्द्धकुशल कितने लोगों को रोजगार दिया जायेगा। यहां के स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाये। बैलाडीला में खलासी तक हैदराबाद से लेकर आते है। जो जोरा में स्ट्रक्चर बनने को है वहां पर जोरा के संबंध में जो डेम बनना है, उसमें से कितना पानी लेंगे क्योंकि वहां के कृषक प्रभावित होंगे, स्पष्ट करें।	– उद्योग प्रबंधन द्वारा 3600 व्यक्तियों को सीधे रोजगार दिया जायेगा, जिसमें कुशल अर्द्धकुशल, एवं आफिसर आदि शामिल है। उपरोक्त के अतिरिक्त कॉन्ट्रेक्ट लेबर आदि के रूप में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 10000 लोग लाभांवित होगें। – पानी के संबंध में

			जानकारी बिन्दु क्रमांक 03 के अनुसार है।
11	श्री रेखचंद जैन जनरल सेकेटरी बस्तर चेम्बर आफ कॉमर्स	– नगरनार क्षेत्र में जो प्लांट लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तहे दिल से स्वागत है। विगत दिनों स्थानीय लोगो द्वारा हड़ताल की जा रही थी, उनकी भावनाओं को सुना, कलेक्टर साहब ने खुलासा किया है। जो 203 लोगों को नौकरी देना है, बड़ी बात नही है। 203 लोगों को नौकरी जल्द ही दिया जाये क्योंकि एन.एम.डी.सी. से करोड़ों का फायदा हो रहा है। इसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाये।	– रोजगार के संबंध में जानकारी बिन्दु क्रमांक 01 अनुसार है।
12	श्री संतोष जैन पूर्व अध्यक्ष बस्तर चेम्बर आफ कॉमर्स	– पूरे विश्व में हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क है। इससे संबंधित प्लांट हमारे यहां लगे। एनएमडीसी, टाटा, एस्सार के प्रयासों का हम स्वागत करते है। प्रबंधन प्रशासन एवं प्रभावितों के बीच समन्वय होना चाहिए। 203 लोगों को तत्काल कार्य पर रखा जाय। जो कार्य जनहित में किया जाना है तत्काल किया जाये। हम सभी प्लांट लगाने में सहमत है।	–तदैव–
13	श्री विनोद सिंह, पत्रकार नईदुनिया	– नगरनार के क्षेत्र का रिपोर्टर होने के नाते मै यह बताना चाहूंगा कि यहां का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां बोधघाट परियोजना, 8 साल से स्टील प्लांट लगना, टाटा का लोहण्डीगुड़ा में लगना नही हो पाया, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बस्तरवासी बाध्य कर देंगे कि आप यहां उद्योग लगाये, जो वादे किये थे। वो पूरा करें। जो प्रभावित है उन्हें तुरंत नौकरी पर रखे। नगरनार में स्टील प्लान्ट लगना बहुत जरूरी है। इस प्लांट का सभी लोग सपोर्ट करे। प्लांट लगे। इस प्लांट के लिए जिन्होंने जमीन दी है वे साधुवाद के पात्र है। एन.एम.डी.सी से मांग पूरी कराये तथा विकास कार्य के लिए औद्योगिकरण जरूरी है। सभी अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। हमको बस्तर का विकास चाहिए।	–
14	श्री दीपक मथरानी जिला पंचायत सदस्य	– प्रदूषण के संबंध में आशंका क्लीयर नही हुई है लेकिन मै आशा करता हूँ कि क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा जाय। जो प्रभावित है उसको कम्पन्सेसन दिया जाय। अपोलो अस्पताल खोला जाय। आई.टी.आई. खोला जाये। फार्मेसी आदि खोला जाये जिससे आम	– उद्योग प्रबंधन द्वारा आधुनिक तकनीक के जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाया जाना प्रस्तावित है, साथ ही स्कूल, अस्पताल आदि भी प्रस्तावित

		आदमी को लाभ मिले। हम सभी लोग स्टील प्लांट खोलने के सहमत है।	है।
15	श्री चंचल प्रभात ग्राम–कस्तुरी	– मै कस्तुरी ग्राम का प्रभावित किसान हूँ। इस्पात संयंत्र के बारे में सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नही की है। प्रभावित की जमीन जो ली गई है वह खेती की जमीन है। उसका मुआवजा सही तरीके से नही किया गया है। जिसकी जमीन गई है, अगर वह मर गया तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। मर जाने के बाद भी रोजगार की गारंटी रहे। पुर्नवास नीति स्पष्ट करे।	– शासन की पुनर्वास नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
16	श्री सुरेश रावल पत्रकार, दैनिक भास्कर	– 43 लोगों को पट्टा निरस्त किया गया था, उनकी दयनीय स्थिति है। उनके लिए क्या प्रस्ताव है?	– उपरोक्त पट्टा जिला प्रशासन द्वारा अपात्र होने के कारण निरस्त किया गया है।
17	श्री पुखराज बोथरा जगदलपुर	– गांव वालों ने जो अपनी जमीन दी है, उनका मै सहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। उद्घाटन के समय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, खेल का मैदान आदि की घोषणा की गई थी। इस प्रजेन्टेशन में उसका कोई भी उल्लेख नही है। एन.एम.डी.सी को यह प्रयास करना चाहिए कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिले तथा स्थानीय उद्योग प्रतिनिधियों को ही स्टील प्लांट से संबंधित उद्योग लगाने में प्राथमिकता दे। मेरी शिकायत, सुझाव है कि लोकसुनवाई में डायरेक्टर की उपलब्धता जरूरी है, मैप में प्रभावित गांव का उल्लेख नही किया गया है। प्रभावित गांवों का उल्लेख जरूर होना चाहिए। उद्योग को कम से कम 2500 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। भूमि अधिग्रहण की जाती है तो कम से कम लोग प्रभावित हो, यह सुनिश्चित किया जाये। दक्षिण कोरिया आदि देशों में कम जमीन में ही स्टील प्लांट लगाया जाता है। आशा करता हूँ कि प्लांट शीघ्र लगे एवं स्थानीय लोगों को ही रोजगार प्राप्त हो। एन.एम.डी.सी को शीघ्र से शीघ्र पहल कर प्लांट लगाना चाहिए। औद्योगिकरण से ही विकास होता है। मै महेन्द्र कर्मा जी, सांसद बलीराम कश्यप जी के प्रति, जिन्होंने बिना भेदभाव के समर्थन किया, आभार व्यक्त करता हूँ।	– प्रबंधन के द्वारा प्रस्तुत प्रेजेन्टेशन सामुदायिक विकास के तहत भविष्य की योजनाओं में 300 छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना, 10+2 स्कूल की स्थापना, एक आईटीआई की स्थापना, खेल परिसर के निर्माण तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना आदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। – डायरेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यालय हैदराबाद से महाप्रबंधक (रिसोर्स प्लानिंग) श्री एन.के. धवन उपस्थित थे। – प्रभावित गांवों के संबंध में विस्तृत जानकारी मेकॉन (कन्सलटेंट) द्वारा ई.आई.ए/ई.एम.पी. रिपोर्ट में दी गई है। – भूमि अधिग्रहण की जानकारी बिन्दु क्रमांक 06 अनुसार है।

लोकसुनवाई के दौरान निम्न लिखित सहमति पत्र/सुझाव प्राप्त हुआ:–

क्र.	शिकायत/सुझावकर्ता का नाम एवं पता	विवरण	उद्योग प्रबंधन द्वारा किये गये निराकरण की जानकारी।
1.	सरपंच ग्राम पंचायत नगरनार, सरपंच ग्राम पंचायत कस्तुरी एवं सरपंच ग्राम पंचायत आगागुड़ा	लोकसुनवाई की मुख्य शर्तों के साथ लिखित में पर्यावरण स्वीकृति/सहमति दी गई है। संलग्नक.......	उपरोक्त के संबंध में उद्योग से प्राप्त उत्तर संलग्नक .... अनुसार है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

दूरभाष क्र. 07782-222414, फैक्स- 07782-226820 E-mail : dfobastar@yahoo.co.in

क्र./क.त.अ./ 3487 जगदलपुर, दिनांक 28/10/2024

प्रति,

महाप्रबंधक (सेवायें)
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जिला बस्तर

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act, 1980 proposed for Constrution of ITI , Polytechnic and other associated Infra- structures in Village - Chokawada, Tehsil-Jagdalpur , District-Bastar under CSR Activities of NMDC Ltd. , area 9.80 ha. -regarding. पंजीयन कमांक– FP/CG/Others/28963/2017

संदर्भ :–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र कमांक/FC-II/IROCH- 22/2023/2023/1449 (A) दिनांक 04.07.2023।
2. छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र कमांक/एफ 5–10/2023/10–2 दिनांक 2.08.2023।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. नवा रायपुर का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–875/2524 दिनांक 18.10.2024।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर के संदर्भित पत्र–1 द्वारा प्रकरण में Proposal is part of CSR activity and it falls under non-site specific project aas per para 1.15 of Handbook of FC Act and guidelines, 2019 में निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण को वापस किया गया है। जिसकी संसूचना छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र–2 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है।

उक्त प्रकरण के संबंध मे आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19.07.2024 अनुसार आई.टी.आई, पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाएं निर्माण एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि नहीं है। यह एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा एन.एम.डी.सी. के इस्पात संयंत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रकिया के दौरान दिया गया आश्वासन है। ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई, पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाएं निर्माण हेतु चयनित क्षेत्र परियोजना प्रभावित गॉवों के निवासियों के लिए सुविधा जनक है। आई.टी.आई, पॉलीटेक्नीक बनाने का उद्देश्य स्थानीय आदिवासी छात्रों को एन.एम.डी.सी. इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप तकनीकी शिक्षा और कौशल में निपूर्ण करना है। इस संबंध में प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र कमांक/1173 दिनांक 08.08.2024 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त जगदलपुर के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र./वन(सं. एवं सं.)अ.) रायपुर को प्रेषित किया गया था। जिसके संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र./वन(सं. एवं सं.)अ.) रायपुर के संदर्भित पत्र–3 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की प्रति भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पर्यावरण स्वीकृति की प्रति शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु वांछित जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

पृ. क्र./क.त.अ./ 3488 जगदलपुर, दिनांक 28/10/2024

प्रतिलिपि :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्र./वन(सं. एवं सं.)अ.) छ.ग. नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर — 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू—प्रबंध)

दूरभाष: 0771 — 2512840 ई — मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू—प्रबंध/विविध/115—875/ 2524 दिनांक 18/10/2024

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
बस्तर वन मंडल, बस्तर
छत्तीसगढ़

क्र.व.अ.

विषय:— **Diversion of forest land for Non-Forest purpose under Forest Conservation Act - 1980 Construction of ITI, Polytechnic and other associated infrastructures in village-Chokawada, Tehsil - Jagdalpur, District-Bastar, Under CSR activities of NMDC Ltd. area 9.80 - reg.**

संदर्भ:— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-II/IROCH-22/ 2023/ 1449 (A) दिनांक 04.07.2023

2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5—10/ 2023 / 10—2 दिनांक 02.08.2023

3. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ व.त.अ/ 2125 दिनांक 14.08.2024

व.म.अ.
बस्तर वन मण्डल
जगदलपुर
24/10/24

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र —1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में Proposal is part of CSR activity and it falls under non-site specific project aas per Para 1.15 of Handbook of FC Act and guidelines, 2019 में निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण को वापस किया गया है जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र—2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त के संदर्भित पत्र —3 के प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधि नहीं है, यह एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा एन.एम.डी.सी. इस्पात संयंत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान दिया गया आश्वासन है। ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु चयनित क्षेत्र परियोजना प्रभावित गाँवों के निवासियों के लिए सुविधा जनक है, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाने के उद्देश्य स्थानीय आदिवासी छात्राओं को एन.एम.डी.सी. पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाने के उद्देश्य स्थानीय आदिवासी छात्राओं को एन.एम.डी.सी. इस्पात की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा और कौशल में निपुण करना है।

संदर्भित पत्र—3 के अनुक्रम में आवेदक संस्थान से पर्यावरण स्वीकृति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू—प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.)
छत्तीसगढ़

क्र0/भू—प्रबंध/ विविध/115—875/ 2525 रायपुर, दिनांक 18/10/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर।
2. अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, नगरनार, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू—प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.)
छत्तीसगढ़

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
क्र. 3448
दि. 24/10/2024
बस्तर (सा.) वन मंडल, जगदलपुर